फोनः-4103333, 2362400 फैक्सः-0141-2373513 वर्षः 75 संख्याः 232 प्रभात जयपुर, बुधवार 26 मार्च, 2025 डाक पं.सं. जयपुर सिटी/001/2021-23 पृष्ठ 8 मूल्य 2.75 रु.

ARBiT

जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

epaper.rashtradoot.com

राष्ट्रदूत

Rashtradoot Metro

A Matter Of Faith

"Faith is the strength by which a shattered world shall emerge into the light." - Helen Keller

A Festival of Divine Energy, Renewal, and Spiritual Awakening

India's Knowledge Renaissance | Can Vikramashila bring back the Glory Days?

धनखड़ ने ''जुडीशियरी'' को नियंत्रण में लाने का अभियान पुनः शुरु किया

राज्यसभा के चेयरमैन धनखड़ ने राज्यसभा में दोनों पार्टियों के नेताओं की बैठक बुलाई, इस मुद्दे पर

-डॉ.सतीश मिश्रा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 25 मार्च। दिल्ली उच्च न्यायालय के जस्टिस यशवन्त वर्मा के निवास पर कथित रुप से बेहिसाब नकदी पाये जाने के उग्र होते जा रहे विवाद के बीच, राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ न्यायपालिका को ''नियंत्रण'' में लाने के नये अभियान की ओर बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने इस प्रकार के मुद्दों के बारे में चर्चा करने के लिये आज फ्लोर लीडर्स एक मीटिंग बुलाई थी।

जस्टिस वर्मा के मुद्दे पर सदन के नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे तथा सदन के नेता जे.पी. नड्डा के साथ हुई मीटिंग के एक दिन बाद, धनखड़ के मन की बात उस समय बाहर आ गई, जब उन्होंने कहा कि ''नेशनल जुडिश्यिल अपॉइन्टमेन्ट्स कमेटी (एनजेएसी) एक्ट'' को दोहराने का यह सही समय है, जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने 2015 में असंवैधानिक घोषित कर दिया था।

आईयूएमएल के हैरिस बीरन, जो आज की कार्यवाही को एक तरफ रखते हुये, इस मामले पर चर्चा की माँग कर रहे थे, के नियम 267 के तहत दिये गये नोटिस को अस्वीकार करने के बाद, सभापति धनखड़ ने कहा, ''मैंने फ्लोर लीडर्स की सुविधा की जानकारी लेने के बाद, आज अपरान्ह 4.30 बजे उनकी एक मीटिंग रखी है। इस मीटिंग का सुझाव विपक्ष के नेता ने दिया था तथा सदन के नेता ने इस सुझाव पर अपनी सहमति व्यक्त की थी। इस मीटिंग के समय की जानकारी सम्बंधित सांसदों को दे दी गई है।''

- धनखड़ का तर्क है कि दोनों सदनों (राज्यसभा व लोकसभा) द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव, जिसे पर्याप्त विधानसभाओं ने पारित किया, ऐसे प्रस्ताव को सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक करार करके ठंडे बस्ते में डाल दिया था, क्या यह उचित निर्णय था?
- धनखड़ के अनुसार, अब यह सवाल उठ रहा है कि क्या संसद के दोनों सदन व विधानसभाओं का कोई महत्व है, क्योंकि इन सभी संस्थाओं द्वारा पारित विधेयक को असंवैधानिक करार देकर रद्दी की टोकरी में डाल सकता है, सुप्रीम कोर्ट।
- इस बार क्या धनखड़ का, जुडीशियरी द्वारा जजों की नियुक्ति की प्रक्रिया में परिवर्तन लाने का प्रयास कुछ रंग लायेगा।

धनखड़ ने सदन में कहा, ''मुझे यकीन है कि हमारी चर्चा बहुत उपयोगी रहेगी तथा कोई रास्ता निकलेगा, क्योंकि व्यवस्थापिका तथा न्यायपालिका अपना अभीष्ट तभी दे पाती हैं, जब वे अपने -अपने क्षेत्र में अपना श्रेष्ठतम कार्य सम्पादन त्वरित गति से करती हैं।

उन्होंने एनजेएसी एक्ट का जिक्र करते हुये कहा, ''मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिन्दु पर आपसे आपके सुझाव चाहता हूँ। भारतीय संसद ने एक अधिनियम बनाया था, जो आजादी के बाद एक दुर्लभ एकता की ओर उठाये गये एक ऐतिहासिक कदम के रुप में था तथा उसे राज्य विधानसभाओं की जरुरी स्वीकृति भी प्राप्त हो गई थी। इसके बाद उस अधिनियम का क्या हुआ, इस पर आज पुनः चिन्तन करने की जरुरत है।''

यह कहते हुये कि वे किसी मुद्दे पर जजमेन्टल होना नहीं चाहते, धनखड़ ने कहा, ''--लेकिन एक चीज, जिसे देश में व्यापक स्वीकार्यता मिली है, यह है कि सर्वोच्च न्यायालय के पास उपलब्ध सम्पूर्ण सामग्री बड़े पैमाने पर जनता के साथ साझा की जा चुकी है। मुझे यकीन है कि सारी चीजें हमें उपलब्ध हो जायेंगी।''

उन्होंने कहा, ''हम इस समय चौराहे पर खड़े हैं। मैं सदस्यों से गंभीरतापूर्वक अनुरोध करता हूँ कि वे विचार करें। जो चीज संसद ने पारित कर की तथा विधानसभाओं ने जिसका समर्थन कर दिया, उसे किसी भी संस्था द्वारा भंग नहीं किया जा सकता।

धनखड़ ने कहा, ''सदस्य इस पर विचार करें, इसीलिये, विपक्ष के नेता तथा सदन के नेता की बुद्धिमत्तापूर्ण सलाह एवं अनुभव का लाभ लेते हुये, मैंने यह कदम उठाया है। और यह बड़ा ही दुर्लभ संयोग है कि सत्तारुढ़ पार्टी के अध्यक्ष इस समय सदन के नेता तथा मुख्य विपक्षी दल के नेता सदन में विपक्ष के नेता हैं।''

धीर -गंभीर पर्यवेक्षकों का कहना है कि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के रुप में धनखड़ का अतीत हमें बताता है कि संवैधानिक पद पर होने के बावजूद, वे तटस्थ रहने के बजाय, वर्तमान सरकार के प्रवक्ता के रुप में ज्यादा काम करते

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

पटवारी भर्ती परीक्षा धाँधली, दो पटवारी सस्पैंड

जयपुर, 25 मार्च। सिरोही जिले में पटवारी भर्ती परीक्षा 2021 में हुई धांधली के मामले में एसओजी की सूचना पर रेवदर ब्लॉक के दो पटवारी सस्पेंड किए गए हैं।

राजस्व बोर्ड अजमेर के पत्र के आधार पर सिरोही जिला प्रशासन ने डाक ग्राम पंचायत के पटवारी दिनेश कुमार पुत्र ठाकराराम और मगरीवाड़ा ग्राम पंचायत के पटवारी दिनेश कुमार पुत्र तुलसाराम को निलंबित कर दिया है। रेवदर तहसीलदार मंजू देवासी ने बताया कि सिरोही प्रशासन से पत्र आने

- सिरोही जिले में पटवारी भर्ती परीक्षा, 2021, में हुई धाँधली के मामले में दोनों निलम्बित पटवारियों पर परीक्षा में डमी कैंडिडेट बिठाने का आरोप है।

के बाद इन दोनों पटवारियों पर कार्रवाई की गई है। इन पर पटवारी भर्ती परीक्षा 2021 में डमी कैंडिडेट बैठाने का आरोप था।

एसओजी की जांच में दोनों पटवारियों के नाम सामने आए थे। इन पर आरोप था कि इन्होंने भर्ती परीक्षा के दौरान डमी कैंडिडेट बैठाए थे। जांच में आरोप पुख्ता पाए जाने के बाद एसओजी ने राजस्व बोर्ड अजमेर को पत्र लिखकर इनके खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की थी। कलेक्टर अल्पा चौधरी ने पत्र जारी कर दोनों पटवारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की। राजस्थान

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

क्या भाजपा व अन्नाद्रमुक एक बार फिर साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे?

अन्नाद्रमुक के महासचिव मंगलवार को दिल्ली आये और फिर अन्नाद्रमुक के दो अन्य वरिष्ठ नेता भी दिल्ली पहुँचने से भाजपा व अन्नाद्रमुक के बीच में कुछ पकने की संभावनाओं की चर्चा बहुत गरम है

-लक्ष्मण वैंकट कुची-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 25 मार्च। ऐसा लगता है कि भाजपा और अन्नाद्रमुक के संबंधों को लेकर दिल्ली में कुछ खदबदा रहा है। गत वर्ष भाजपा की तमिलनाडु इकाई ने जयललिता पर लगातार हमले कर अन्नाद्रमुक को गठबंधन छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया था।

जयललिता पर हमले के कारण अन्नाद्रमुक के महासचिव ई. पलानीस्वामी ने भाजपा से गठबंधन तोड़कर अकेले लोकसभा चुनाव लड़ा था। इससे द्रमुक विरोधी वोट बंट गए और तमिलनाडु व पुडुचेरी की सभी सीटें द्रमुक ने जीत ली थीं।

अब अन्नाद्रमुक महासचिव के दिल्ली आने से अटकलों का बाज़ार गर्म है कि भाजपा व अन्नाद्रमुक में फिर से गठबंधन हो सकता है, वरना द्रमुक की जीत तय है।

सूत्रों के अनुसार, अन्नाद्रमुक के दो अन्य ताकतवर नेता भी जल्दी ही दिल्ली आने वाले हैं। वे यहाँ अन्नाद्रमुक के कार्यालय का निरीक्षण करने आएंगे, जिसका हाल ही में उद्घाटन हुआ है। संभावना है कि वे भाजपा नेताओं से भी मिलेंगे, पर अन्नाद्रमुक को अभी कुछ बाधाओं को हटाना जरूरी है।

- पिछले लोकसभा चुनाव के समय दोनों कुछ मनमुटाव के बाद गठबंधन तोड़कर अलग-अलग हो गई थीं तथा अलग-अलग ही चुनाव लड़ा था।
- नतीजा यह हुआ था कि द्रमुक विरोधी वोट बंट गया था तथा द्रमुक तमिलनाडु की सभी सीटों पर विजयी हुई थी।
- इस बार दोनों पार्टियाँ, अन्नाद्रमुक व भाजपा, द्रमुक विरोधी वोटों को बंटने नहीं देना चाहते। अतः दोनों पार्टियाँ, किसी तरह एक बार फिर एक साथ चुनाव लड़ना चाहती हैं।
- पर, इस संभावना के बावजूद, दो बड़े मुद्दे, डीलिमिटेशन व तीन भाषा फॉर्मूले पर आपसी समझौता करना पड़ेगा। अन्नाद्रमुक नेताओं की अचानक दिल्ली यात्रा इस प्रयास का ही अंग है।

इनमें सबसे प्रमुख है, त्रिभाषा फॉर्मूला। अन्नाद्रमुक भी दो भाषा फॉर्मूला की पक्षधर है और इसे परिसीमन पर भी अपना पक्ष रखना पड़ेगा। ये दोनों ऐसे मुद्दे हैं, जिन पर दोनों दलों को विचार कर साझा रुख तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि स्टालिन ने इन दोनों मुद्दों को चुनावी मुद्दा बना दिया है।

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन तमिलनाडु के सांसदों का प्रतिनिधिमंडल लेकर दिल्ली आ रहे हैं, जहाँ वे प्रधानमंत्री से मुलाकात कर प्रस्तावित परिसीमन के खिलाफ ज्ञापन देंगे। परिसीमन हुआ तो दक्षिणी राज्यों की सीटें कम हो जाएगी। अब अन्नाद्रमुक प्रमुख, दिल्ली आ रहे हैं। उनकी यात्रा को 2026 के विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा से गठबंधन के प्रति लचीले रुख के रूप में देखा जा रहा है। अगर अन्नाद्रमुक से गठबंधन हो जाता है तो भाजपा को भी लाभ हो सकता है।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

वन रक्षक पेपर लीक प्रकरण : एसओजी ने दो और गिरफ्तारियाँ कीं

एसओजी ने एन.डी. सारण से पूछताछ के बाद एक रेल्वे स्टेशन मास्टर और ट्रैफिक पुलिस के एक कांस्टेबल को पकड़ा है

जयपुर, 25 मार्च। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी) ने कार्रवाई करते हुए, वन रक्षक पेपर लीक प्रकरण मामले में पालनपुर गुजरात रेलवे स्टेशन मास्टर सहित, बाड़मेर के ट्रेफिक पुलिस कांस्टेबल को गिरफ्तार किया है।

एटीएस-एसओजी के एडीजी वीके सिंह ने बताया कि 30 जून 2024 को पुलिस थाना राजतलाब जिला बांसवाड़ा की ओर से 13 नवम्बर 2022 की दोनों पारियों में वन रक्षक भर्ती परीक्षा - 2020 कराई गई थी उक्त परीक्षा के पेपर लीक मामले की जांच एसओजी, राजस्थान जयपुर की ओर से की जा रही है।

एसओजी ने इस मामले में बाड़मेर महाविद्यालय पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष तथा पूर्व कांग्रेस पार्षद नरेश देव सारण को गिरफ्तार कर पूछताछ की तो सामने आया कि बाड़मेर निवासी टिमो हाल वनरक्षक को वन रक्षक भर्ती परीक्षा-2020, 13 नवम्बर 2022 की द्वितीय पारी का सॉल्यड पेपर उदयपुर परीक्षा केन्द्र पर पढ़ाने के एवज में बालोतरा निवासी कंवरा राम चौधरी जो गुजरात पालनपुर में स्टेशन मास्टर है, ने उसे 6 लाख रूपये दिये थे। ज्ञातव्य है कि टिमो को एसओजी ने गिरफ्तार कर लिया है। इस टिमो के पति लिखमाराम, जो बाड़मेर के चौहटन में ट्रैफिक पुलिस कांस्टेबल है, को एसओजी ने सारण से पूछताछ के आधार पर षड़यंत्र में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार किया है। वह टिमो को वन रक्षक परीक्षा का पेपर पढ़ाने के षडयंत्र में शामिल था। उसने अपने परिचित को बोलकर अपनी पत्नी टिमो को वन रक्षक भर्ती परीक्षा का पेपर पढ़ाने व रूकवाने की उदयपुर में व्यवस्था कराई थी। कंवराराम चौधरी व लिखमाराम को जांच के बाद गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर दो दिन का रिमाण्ड प्राप्त किया।

- ट्रैफिक पुलिस कांस्टेबल लिखमाराम, गिरफ्तार वन रक्षक टिमो का पति है, उसने अपनी पत्नी को उदयपुर में सॉल्व्ड पेपर पढ़ाने व वहाँ रूकवाने की व्यवस्था कराई थी।
- एन.डी. सारण ने यह भी बताया कि बालोतरा निवासी कंवराराम, जो गुजरात के पालनपुर में स्टेशन मास्टर है, ने उसे टिमो को पेपर पढ़ाने के लिए 6 लाख रूपए दिए थे।

ज्ञातव्य है कि आरोपित एन डी

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

भाजपा ईद पर देगी सौगात-ए- मोदी

नयी दिल्ली, 25 मार्च। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) अल्पसंख्यक मोर्चा ने रमज़ान के पावन अवसर पर हजरत निजामुद्दीन स्थित ग़ालिब अकादमी में 'सौगात-ए-मोदी '' किट वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री और अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम और मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीक़ी

- अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी ने कहा, सौगात -ए- मोदी में कपड़े, सेंवाई, खजूर, मेवे व चीनी दिए जाएंगे।

ने करीब 200 जरूरतमंद लोगों को 'सौगात-ए-मोदी' किट वितरित की।

इस मौक़े पर दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष अनीस अब्बासी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एस. एम. अकरम, सूफ़ी संवाद अभियान के राष्ट्रीय प्रभारी डॉ. असलम, यासिर जिलानी, सौगात ए मोदी अभियान दिल्ली के प्रभारी इरफान सलमानी देहलवी, सह प्रभारी इमतियाज अहमद,

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

जस्टिस वर्मा के इलाहाबाद हाई कोर्ट तबादले के खिलाफ वकीलों ने हड़ताल की

इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के आव्हान पर वकील अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए

प्रयागराज, 25 मार्च। इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश यशवंत वर्मा के इलाहाबाद हाईकोर्ट में स्थानांतरण की कोलीजियम की सिफरिश के विरोध में मंगलवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू की। इलाहाबाद हाईकोर्ट के अधिवक्ताओं ने गेट नम्बर तीन के बाहर टैन्ट लगाकर तबादले के विरोध में अपने अपने विचार व्यक्त किए। घर में कथित तौर पर नगदी मिलने के आरोपों से घिरे न्यायमूर्ति वर्मा के खिलाफ वकीलों ने आर-पार की लडाई का ऐलान किया।

अधिवक्ताओं ने उच्च न्यायालय के बाहर ''अभी तो ये अंगडाई है, आगे और लड़ाई है'', तथा ''अधिवक्ता एकता जिंदाबाद'' जैसे नारे लगाए। उन्होंने गेट के बाहर यज्ञ किया और वे हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। हालांकि अन्य लोगों को न्यायालय के अंदर जाने से रोका नहीं जा रहा है।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय के महासचिव विक्रांत पाण्डेय ने कहा कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सदबुद्धि के लिए यज्ञ किया गया है और हनुमान चालीसा का पाठ किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होतीं, हम लोग काम पर वापस नहीं लौटेंगे। हम किसी भी हाल में यशवंत वर्मा को इलाहाबाद उच्च न्यायालय में बैठने नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि बुधवार से फोटो एफिडेविट सेंटर भी बंद किए जाएंगे।

इलाहाबाद बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल तिवारी ने बताया कि सोमवार शाम को न्यायालय बंद होने के बाद, न्यायमूर्ति वर्मा के इलाहाबाद उच्च न्यायालय में तबादला होने की सूचना मिलने पर देर शाम उनके आवास पर ही एसोसिएशन ने पदाधिकारियों की आपातकालीन बैठक बुलाकर विचार-विमर्श किया। फिर वकीलों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान किया। पदाधिकारियों की बैठक में निर्णय लिया गया कि उच्चतम न्यायालय कोलीजियम द्वारा स्थानांतरण का निर्णय जब तक वापस नहीं लिया जाता है, तब तक यहां के अधिवक्ता न्यायिक कार्य नहीं करेंगे।

- वकीलों ने हाई कोर्ट के बाहर धरना दिया, यज्ञ किया और हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं।
- वकीलों ने प्रस्ताव पारित कर कहा कि जस्टिस वर्मा का किसी भी अदालत में तबादला नहीं होना चाहिए।
- उन्होंने कहा, जब तक सुप्रीम कोर्ट कोलीजियम हमारी माँगें नहीं मानता, हम काम पर नहीं लौटेंगे।

गौरतलब है कि 14 मार्च को दिल्ली में न्यायमूर्ति वर्मा के आवास के एक कमरे में लगी आग में रुपए के बंडल

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)